

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक: F.1(A)(9)RB/2020/

दिनांक: अगस्त 2020

—:कार्यवाही विवरण:—

माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10.7.2020 को राजभवन में डीम्ड एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक राजभवन से ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आयोजित की गई।

बैठक में राज्य के 2 डीम्ड विश्वविद्यालयों एवं 9 निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/कुलपति/निदेशक/अध्यक्षों ने अपने-अपने विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन प्लेटफार्म पर माननीय राज्यपाल महोदय से संवाद किया।

बैठक के प्रारंभ में सचिव राज्यपाल ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं बैठक की संरचना से सभी को अवगत कराया।

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की अकादमिक उत्कृष्टता एवं उनके द्वारा किये अध्ययन, अध्यापन, प्रवेश, परीक्षा एवं मूल्यांकन के बारे में विस्तृत जानकारी देने एवं निजी विश्वविद्यालयों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालने को कहा।

माननीय राज्यपाल महोदय ने युवा पीढ़ी का मनोबल बनाये रखने पर जोर देते हुए उनके व्यक्तित्व विकास एवं नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम चलाये जाने पर जोर दिया, साथ ही विश्वविद्यालयों द्वारा किये जा रहे नवाचार एवं "बेस्ट प्रेक्टिसेज" के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए आग्रह किया जिससे वह अनुप्रयोग राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जा सके। संवाद के दौरान माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा वर्तमान कोविड-19 के दौर में अध्ययन, अध्यापन, प्रवेश, परीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए गठित "टास्क फोर्स" की अनुशंसाओं एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिए गये निर्णयों के बारे में चर्चा की। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा यह विश्वास व्यक्त किया गया कि कोविड-19 द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों में फिर से शैक्षणिक माहौल बनेगा जिससे राज्य के छात्र लाभान्वित हो सकेंगे।

संवाद कार्यक्रम के अर्न्तगत सभी प्रतिभागी डीम्ड एवं निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/अध्यक्ष/कुलपतियों के द्वारा एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई।

विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा नवाचार, बैस्ट प्रेक्टिसेज एवं केन्द्र, राज्य सरकार अथवा नोडल एजेन्सी से अपेक्षा के संबंध में निम्नलिखित मुख्य बिन्दु माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष रखें गये—

1. वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को अकादमिक उत्कृष्टता के संबंध में किये जा रहे नवाचारों के परिपेक्ष्य में बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा पंचमुखी शिक्षा (शारीरिक, व्यावहारिक, कलात्मक, बौद्धिक एवं नैतिक शिक्षा) द्वारा छात्राओं का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय द्वारा सरकार से यह अपेक्षा कि गई कि पंचमुखी शिक्षा द्वारा भारत की महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सकता है। देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने में अन्य विश्वविद्यालय भी इसी प्रकार की कार्यवाही कर सकते हैं।

2. बिट्स पिलानी के अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को नवाचारों के संबंध में अवगत कराया गया की बिट्स पिलानी द्वारा शून्य उपस्थिति नीति अपनाई जाती है जिसके अन्तर्गत छात्रों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उन्हें स्व-अनुशासित बनाया जाता है, अन्य नवाचार जैसे "क्रेडिट सिस्टम", "वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम", "टेली प्रेजेंस क्लासरूम", "वर्चुअल लैब्स" बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ओपन कोर्स (MOOCs), छात्रों को 30% वित्तीय सहायता एवं 24x7 कैम्पस में सभी सुविधाओं की उपलब्धता आदि के बारे में जानकारी दी गई।

अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार से चिकित्सा, पर्यावरण एवं तकनीकी के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग की अपेक्षा की गयी, साथ ही राज्य सरकार से बिट्स पिलानी द्वारा किये जा रहे नवाचारों को और अधिक प्रोत्साहन देने एवं बिट्स पिलानी में अनुसंधान पार्क का निर्माण कर उच्च कॉरपोरेट सेक्टर की प्रतिभागिता सरकार के स्तर पर सुनिश्चित करवाने हेतु आग्रह किया गया।

3. जयपुर नेशनल युनिवर्सिटी के कुलपति द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय में कोविडकाल में लेबोरेट्री द्वारा 2000 नमूनों की जाँच प्रतिदिन की जाती है, तथा अस्पताल में 200 बैड कोविड मरीजों के लिए रखे गये हैं एवं "प्लाज्मा थेरेपी" दी जा रही है, साथ ही MRI मशीन भी लगाई गई है।

कुलपति द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को राज्य सरकार के स्तर पर Joint Entrance Test (JET) करवाने अथवा न करवाने के संदर्भ में स्पष्ट निर्णय लिये जाने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किये जाने का आग्रह किया, साथ ही कोविडकाल की विषम परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा विशेष आर्थिक अनुदान विश्वविद्यालयों को दिये जाने का निवेदन किया गया।

4. एमिटी विश्वविद्यालय के संस्थापक द्वारा विश्वविद्यालय के "विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली", "निर्देशित स्व-आधारित पाठ्यक्रम", "उद्योग सलाहकार पाठ्यक्रम परिषद्", "पेटेंट फाईलिंग", अकादमिक ऑडिट" एवं विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय कार्यक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, माननीय राज्यपाल महोदय को विश्वविद्यालय की ओर से इन विषय परिस्थितियों में यथाशक्ति एवं यथासंभव सहायता प्रदान किये जाने का वादा किया गया।
5. अध्यक्ष, ज्योति महिला विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अकादमिक उत्कृष्टता के संबंध में किये जा रहे नवाचारों के परिपेक्ष में विश्वविद्यालय स्टार्टअप सेंटर, Mentor Teacher, सामुदायिक विकास गतिविधियाँ, विश्वविद्यालय मिशन पाठ्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों द्वारा फीडबैक दिये जाने आदि के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गये—
- प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा उसके आस पास के क्षेत्र में संचालित विद्यालयों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय द्वारा वहन की जाये।
 - राज्य में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों द्वारा यह आवश्यक रूप से घोषित किया जाए कि उनके द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में किस प्रकार के कौशल एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिससे उच्च शिक्षण संस्थान अपने पाठ्यक्रम में उक्त संशोधन अथवा नया पाठ्यक्रम जोड़कर उद्योगों के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित जनशक्ति दे सके।
 - सभी अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त अनुदान के उपयोग के अनुसरण में आवश्यक रूप से श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए।
 - उद्योग की आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार द्वारा मनरेगा फंड के द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
 - हिन्दी शब्दकोश के कुछ शब्द जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, कुलपति, कुलाधिपति, सरपंच, छात्र संघ इत्यादि शब्दों को पुनर्विचार कर बदलने की आवश्यकता है क्योंकि यह पुरुष प्रधान समाज की ओर इंगित करता है।
6. भारतीय स्किल डवलपमेंट युनिवर्सिटी जयपुर द्वारा विश्वविद्यालय में चलाये जा रहे B.Voc, M.Voc एवं Ph. D. पाठ्यक्रमों के बारे में, "One Man One Machine" के सिद्धान्त पर कार्य किये जाने एवं "क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम" में NSQF आधारित शिक्षा दिये जाने, सामाजिक कार्यों पर आधारित Extension Activities के बारे में बताया गया।

कुलपति द्वारा B.Voc की डिग्री को सरकार द्वारा मान्यता दिलवाने एवं उसे अन्य विषयों में स्नातक के समरूप मानते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को पात्रता प्रदान करने हेतु आग्रह किया गया एवं साथ ही विद्यार्थियों को प्राप्त डिग्री के आधार पर बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के लिए निवेदन किया गया।

7. NIIT विश्वविद्यालय, अलवर के कुलपति द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कई प्रकार के पाठ्यक्रम आधारित नवाचार जैसे "विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम", "उद्योग सलाहकार समिति", "व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम", "परियोजना आधारित पाठ्यक्रम", "छः महीने का औद्योगिक प्रशिक्षण", "अनुसंधान सलाहकार समिति" आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा यह आग्रह किया गया कि सक्षम एवं समृद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा "डिजिटल प्रोग्राम" देने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए साथ ही नए कार्यक्रम एवं नवाचारों को बढ़ावा देते हुए विश्वविद्यालयों को यू.जी.सी. के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता देनी चाहिए।
8. कुलपति, ICFAI जयपुर ने को अकादमिक उत्कृष्टता के संबंध में विश्वविद्यालय में किये जा रहे नवाचारों में "छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम", "विश्लेषणात्मक कौशल का विकास", "निरंतर ज्ञान में वृद्धि", "Mentor-mentee Scheme", "गरीबों के लिए कानूनी सहायता शिविर" आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन किया कि उनकी अपेक्षा है कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के प्रति मित्रता का भाव रहे एवं उनसे निरंतर संवाद रहे साथ ही संबंधित विभागों से निजी विश्वविद्यालयों का लगातार समन्वय बना रहे।
9. अध्यक्ष, अपेक्स युनिवर्सिटी, जयपुर द्वारा विश्वविद्यालय के नवाचार जैसे "परिणाम आधारित शिक्षा", "Flip Class Room", "Communication Skill in Students", "Creation of Prototypes and Products", "Tracking of Students" आदि के बारे में माननीय राज्यपाल महोदय को अवगत कराया तथा अनुशंसा प्रेषित की गयी कि निजी विश्वविद्यालय द्वारा "अध्यक्ष" की नामावली को "कुलपति" किया जाकर सरकार द्वारा उससे मान्यता प्रदान की जाये तथा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा अपने नियम में बदलाव कर यू.जी.सी. के दिशा निर्देशों के अनुरूप डिग्री की समकक्षता लाई जाये एवं निजी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में प्रवेश कि अनुमति दी जाये।

10. प्रतिकूलपति, मेवाड़ विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक नवाचारों में स्नातक स्तर के "वोकेशनल कॉर्स" तथा फार्मसी में स्नातकोत्तर का समावेश, ऑनलाइन कक्षाएं एवं परीक्षाओं का आयोजन, विद्यार्थियों में द्विपक्षीय शिक्षण प्रणाली एवं विद्यार्थियों को भारत सरकार के ख्यातिनाम प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थाओं में भेजा जाना प्रमुख रूप से उल्लेखित किया।

माननीय राज्यपाल महोदय को यह अवगत कराया गया की कोविड-19 महामारी काल में विद्यार्थियों द्वारा फीस जमा नहीं करवाये जाने से आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। अतः विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं नोडल एजेन्सी से विश्वविद्यालय को अनुदान की अपेक्षा रखता है, जिससे विश्वविद्यालय का संचालन सुचारु रूप से अबाध एवं अनवरत् हो सके।

11. JECRC विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं निदेशक द्वारा विश्वविद्यालय के नवाचारों के बारे में बताते हुए माननीय राज्यपाल महोदय को यह अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर साइन्स के विद्यार्थियों के लिए प्रति वर्ष "रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोग्राम" किया जाता है, "इनक्यूबेशन सेंटर" के माध्यम से विद्यार्थियों को "स्टार्टअप" शुरू करने एवं सामाजिक दायित्वों के अन्तर्गत गांवों के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाने एवं रक्तदान किया जाना प्रमुख हैं।

निदेशक द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह किया गया कि विश्वविद्यालय की केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा नोडल एजेन्सी से यह अपेक्षा है कि "डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम" की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि समाज के आखिरी व्यक्ति तक उचित और व्यवहारपूर्ण शिक्षा की पहुंच हो।

संवाद के अंत में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अपने समापन उद्बोधन में सभी निजी विश्वविद्यालयों को सक्षम एवं समर्थ बताते हुए विश्वविद्यालयों द्वारा समाज के हित में किये जाने वाले कार्यों की प्रशंसा की एवं यह आह्वान किया कि सभी विश्वविद्यालय यह देखें कि छात्र हित में अध्ययन व अध्यापन के अतिरिक्त अन्य क्या कार्य समाज हित में किये जा सकते हैं।

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इस संवाद का मुख्य उद्देश्य डीम्ड एवं निजी विश्वविद्यालयों में प्रचलित "बेस्ट प्रैक्टिसेस", नवाचार, "स्टार्टअप्स" को "क्रॉस लर्निंग" के माध्यम से राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में लागू किया जाना एवं उन्नत अध्ययन, अध्यापन एवं संवाद की तकनीको का आदान प्रदान किया जाना बताया एवं संवाद के दौरान ध्यान में लाई गयी "बेस्ट प्रैक्टिसेस" एवं नवाचारों को "टास्क फोर्स" में एजेण्डा बिन्दु के रूप में रखने हेतु निर्देशित किया।

डीम्ड एवं निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संविधान उद्यान में संविधान स्तंभ के निर्माण हेतु माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय में संविधान उद्यान का निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव रखा गया। इस संदर्भ में सभी डीम्ड एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति, अध्यक्ष, निदेशकों को पत्र प्रेषित कर संविधान उद्यान के बारे में तकनीकी जानकारी दिए जाने हेतु निर्देशित किया।

संवाद कार्यक्रम के अंत में सचिव राज्यपाल द्वारा धन्यवाद प्रेषित किया गया।

Sd/-
सचिव
राज्यपाल ,राजस्थान

क्रमांक: F.1(A)(9)RB/2020/ 561

दिनांक: 24 अगस्त 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. कुलपति, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली।
3. कुलपति, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एण्ड साइंस, पिलानी।
4. कुलाधिपति, जयपुर नेशनल युनिवर्सिटी, जयपुर।
5. निदेशक, एमिटी युनिवर्सिटी, जयपुर।
6. अध्यक्ष, ज्योति विद्यापीठ महिला महाविद्यालय, जयपुर।
7. चेयरपर्सन, मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़।
8. चेयरपर्सन, एनआईआईटी युनिवर्सिटी, अलवर।
9. चेयरपर्सन, आईसीएफएआई युनिवर्सिटी, जयपुर।
10. चेयरपर्सन, जेईसीआरसी युनिवर्सिटी, जयपुर।
11. अध्यक्ष, अपेक्स यूनिवर्सिटी, जयपुर।
12. अध्यक्ष, भारतीय स्किल डवलपमेंट युनिवर्सिटी, जयपुर।
13. निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।


विशेषाधिकारी-प्रथम, उच्च शिक्षा